झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

<u>पंचम् झारखण्ड विधान सभा</u>

संख्या–16

एकादश (बजट) सत्र

<u>गुरूवार, दिनांकः–23 मार्च, 2023 ई०।</u>

समयः–11:00 बजे पूर्वा० से 05:04 अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. प्रश्नकाल

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ:–

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या–13

(क) उत्तरित कुल–03	अ0सू0–39,	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	स0वि0स0
	अ0सू0–28,	श्री बिरंची नारायण	स0वि0स0
	अ0सू0–13,	श्री समीर कुमार महान्ती	स0वि0स0
(ख) अनागत कुल–10	क्रम संख्या–262 से 271 तक।		

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या–33

(क) उत्तरित कुल–02	क्र०सं०–454,	श्री दिनेश विलियम मराण्डी	स0वि0स0
	क्र०सं०–667,	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	स0वि0स0
(क) अनागत कुल–31	क्रम संख्या–668 से 698 तक।		

2. सूचना

प्रश्नकाल के दौरान कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा सदन में विभिन्न बिन्दुओं पर सूचना दी गईः–

1. माननीय सदस्य मथुरा प्रसाद महतो ने सूचना के माध्यम से आसन से आग्रह किया कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अवैध उत्खनन करने के दौरान चार लोगों की मौत हो गई है। मैं मांग करता हूँ कि बीसीसीएल से मृत व्यक्ति के आश्रितों को 20–20 लाख मुआवजा तथा घायलों को 5–5 लाख मुआवजा दिलाया जाय।

2. माननीय सदस्य श्री ढुलू महतो ने आसन से आग्रह किया कि टुण्डी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अवैध उत्खनन के क्रम में दस लोगों की जान गई है तथा यह घटनास्थल डी0एस0पी0 बंगला से सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। साथ ही कल मैंने जो सूचना दिया था कि उत्खनन हेतु खनन कम्पनी के द्वारा जोर–जबरदस्ती से कार्य कराने के क्रम में तारापद महतो जो लगभग 80 प्रति जल गया था, की आज उनकी मृत्यु हो गयी है। इस कम्पनी के ऊपर अविलम्ब कार्रवाई की जाय।

(पक्ष–विपक्ष के सदस्यों द्वारा शोरगुल व प्रदर्शन करने के कारण 11:45 बजे पूर्वा0 में सदन की कार्यवाही 12:30 बजे अप0 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा आसन से की गयी)

(स्थगनोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

3. शून्यकाल की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए लिखित उत्तर के लिए संबंधित विभागों में भेजे जाने हेतु आसन से निदेश दिया गया।

4. आसन से घोषणा

पंचम् झारखण्ड विधान सभा में क्षेत्र संख्या–38 (सिंदरी) से निर्वाचित माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत महतो के SUVITAS HOLISTIC HEALTHCARE, HYDERABAD अस्पताल में 27 मई 2021 से अबतक अंतःवासी रोगी के रूप में ईलाजरत् रहने के कारण लगातार सदन की बैठकों से अनुपस्थिति के विषय को सदन के संज्ञान में लाया गया। श्री महतो दिनांक–23 मार्च 2021 की बैठक में उपस्थित थे। झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–317(2) के आलोक में दिनांक 23 मार्च 2023 को सभा की सर्वसम्मति से श्री इन्द्रजीत महतो, स0वि0स0 की दिनांक–23 मार्च 2023 तक सभा की बैठक से अनुपस्थिति को क्षम्य करने की अनुज्ञा प्रदान की गई।

(तत्पश्चात् माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव ने सूचना के रूप में कहा कि श्री राहुल गांधी का सम्पूर्ण परिवार यथाः पंडित नेहरू से लेकर श्रीमती इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी एवं स्वयं राहुल गांधी देश के लिए समर्पित रहे हैं। इन्दिरा गांधी तथा राजीव गांधी ने देश के लिए कुर्बानी तक दी। ऐसे परिवार के साथ आज जिस तरह से व्यवहार किया गया है, अशोभनीय है।)

5. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. आसन से पुकारे जाने पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, श्री बादल द्वारा जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के वार्षिक प्रतिवेदनों एवं राज्य स्तर पर तैयार समेकित प्रतिवेदनों की प्रति सभा पटल पर रखी गयी।
2. आसन से पुकारे जाने पर वित्त विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, डॉ0 रामेश्वर उराँव द्वारा झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान अधिनियम, 2022 की धारा–9 के प्रावधानानुसार मंत्रिपरिषद् द्वारा पारित झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान नियमावली, 2023 की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

6. सभा मेज पर प्रतिवेदन का उपस्थापन

1. आसन से पुकारे जाने पर झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम–216(1) के तहत संयोजक, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी द्वारा पूर्व माननीय सदस्यों के आश्रितों एवं माननीय सदस्यों के चिकित्सा सुविधा देय हेतु गठित विशेष समिति का प्रतिवेदन सदन पटल पर उपस्थापित किया गया।
2. आसन से पुकारे जाने पर झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम–216(1) के तहत माननीय सभापति, श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा प्रत्यायुक्त विधान समिति का तीसरा प्रतिवेदन सदन पटल पर उपस्थापित किया गया।

(पक्ष–विपक्ष के सदस्यों द्वारा शोरगुल व प्रदर्शन करने के कारण 12:47 बजे पूर्वा0 में सदन की कार्यवाही 02:00 बजे अप0 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा आसन से की गयी)

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

7. विधायी कार्य

1. श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सत्यानन्द भोक्ता के द्वारा दिनांक–20 जुलाई, 2018 को सभा द्वारा पारित **"औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018"** को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम–110 के अधीन सदन की स्वीकृति के उपरान्त वापस लिया गया।
2. श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सत्यानन्द भोक्ता के द्वारा दिनांक–18 दिसम्बर, 2015 को सभा द्वारा पारित **"झारखण्ड ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015"** को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम–110 के अधीन सदन की स्वीकृति के उपरान्त वापस लिया गया।
3. श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सत्यानन्द भोक्ता के द्वारा दिनांक–18 दिसम्बर, 2015 को सभा द्वारा पारित **"बिहार औद्योगिक (राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश और आकस्मिक छुट्टी) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015"** को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम–110 के अधीन सदन की स्वीकृति के उपरान्त वापस लिया गया।
4. श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सत्यानन्द भोक्ता के द्वारा दिनांक–27 दिसम्बर, 2018 को सभा द्वारा पारित **"झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2018"** को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम–110 के अधीन सदन की स्वीकृति के उपरान्त वापस लिया गया।
5. श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सत्यानन्द भोक्ता के द्वारा दिनांक–20 जुलाई, 2018 को सभा द्वारा पारित **"झारखण्ड श्रम विधियाँ (संशोधन) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम विधेयक, 2018"** को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम–110 के अधीन सदन की स्वीकृति के उपरान्त वापस लिया गया।
6. श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सत्यानन्द भोक्ता के द्वारा दिनांक–25 जुलाई, 2019 को सभा द्वारा पारित **"कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019"** को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम–110 के अधीन सदन की स्वीकृति के उपरान्त वापस लिया गया।

राजकीय विधेयक

इटकी ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग) (संशोधन) विधेयक, 2023

माननीय प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, श्री बन्ना गुप्ता द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरान्त माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में डॉ0 लम्बोदर महतो, स0वि0स0 द्वारा खण्ड–02 में दिए गए संशोधन को सभा द्वारा ध्वनिमत से अस्वीकृत किया गया।

इसके पश्चात् खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड–02, खण्ड–01, प्रस्तावना तथा नाम बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"इटकी ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग) (संशोधन) विधेयक, 2023"** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

8. गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ

पंचम् झारखण्ड विधान सभा के एकादश (बजट) सत्र में निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा गैर–सरकारी संकल्प की सूचनाएँ पढ़ी गयी, जिन्हें सरकारी उत्तर के पश्चात् उनके द्वारा वापस लिया गयाः–

क्र०सं०	माननीय सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	स्थिति
1	श्री सुदिव्य कुमार, स०वि०स०	गिरिडीह से मधुबन के बीच सोलर लाईट लगवाना।	वापस
2	श्री भानू प्रताप शाही, स०वि०स०	गढ़वा जिला स्थित कन हर सिंचाई परियोजना पूर्ण कराना।	वापस

इसके उपरान्त आसन की अनुमति से माननीय मुख्यमंत्री सह सदन नेता, श्री हेमन्त सोरेन ने सरकारी वक्तव्य दिया जिसमें वर्त्तमान सरकार द्वारा अब तक हासिल की गयी उपलब्धियों तथा किये जा रहे विकासात्मक कार्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए अपनी प्रबल भावनाओं को भी अभिव्यक्त किया।

(इस क्रम में विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

9. समापन भाषण

पंचम् झारखण्ड विधान सभा के एकादश (बजट) सत्र के समापन के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने वर्त्तमान सत्र के दौरान संपन्न कुल–16 कार्य दिवसों के दौरान सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने में विधान सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की अहर्निश सेवा, राज्य सरकार के विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका एवं मीडिया कर्मियों की सहभागिता के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ दी। संपूर्ण सत्र के दौरान पूछे गए प्रश्नों, शून्यकाल की सूचनाएँ, ध्यानाकर्षण सूचनाएँ, प्राप्त निवेदन एवं विधेयक के सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। इस लंबे बजट सत्र में आम नागरिकों के हित में संपन्न कार्यों की भी व्याख्या के साथ ही अपने विचारों से भी माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया।

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।

राँची,

दिनांक–23 मार्च, 2023

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।